प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ,दिनांक: 24 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अज्जू उर्फ अजुआ पुत्र श्री श्यौदान, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25-06-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अज्जू उर्फ अजुआ पुत्र श्री श्यौदान, जो ग्राम-नंगला बागी, थाना-रामघाट, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस में दीवानी अदालत में चल रहे मुकदमे की रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20/21.08.2004 को विश्णु कुमार का अपहरण करके फावड़े से हत्या कर कटे हुए सिर व हाथ को नहर में बहा दिया। द्वितीय केस में जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 23.03.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे और बल्लभ से वादी के पिता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी०-174/2005, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 364, 302/149, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-05, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) बंदी को एस०टी० नं०-662/1995, भा०द०वि० की धारा-302/34, 504, 506 में अपर जिला एवं सत्र न्या०/त्वरित न्या०-20, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-15.08.2022 तक प्रथम केस में अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा द्वितीय केस में अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 00 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी ने प्रथम केस में दीवानी अदालत में चल रहे मुकदमें की रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20/21.08.2004 को विष्णु कुमार का अपहरण करके फावड़े से हत्या कर कटे हुए सिर व हाथ को नहर में बहा दिया। द्वितीय केस में जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 23.03.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे और बल्लम से वादी के पिता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अज्जू उर्फ अजुआ पुत्र श्री श्यौदान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अज्जू उर्फ अजुआ (बन्दी संख्या-16003) पुत्र श्री श्यौदान, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-608/2026/1325(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-608/2026/1325/22-2-2025-17(1468)/2023

दिनांक: 24 मई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अज्जू उर्फ अजुआ पुत्र श्री श्यौदान, जो ग्राम-नंगला बागी, थाना-रामघाट, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। प्रथम केस में दीवानी अदालत में चल रहे मुकदमे की रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20/21.08.2004 को विश्णु कुमार का अपहरण करके फावड़े से हत्या कर कटे हुए सिर व हाथ को नहर में बहा दिया। द्वितीय केस में जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 23.03.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे और बल्लभ से वादी के पिता की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी०-174/2005, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 364, 302/149, 201 में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-05, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 28.02.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। (2) बंदी को एस०टी० नं०-662/1995, भा०द०वि० की धारा-302/34, 504, 506 में अपर जिला एवं सत्र न्या०/त्वरित न्या०-20, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-15.08.2022 तक प्रथम केस में अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 11 माह, 20 दिन तथा द्वितीय केस में अपरिहार 15 वर्ष, 04 माह, 10 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 00 माह, 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी ने प्रथम केस में दीवानी अदालत में चल रहे मुकदमें की रंजिश के कारण बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20/21.08.2004 को विष्णु कुमार का अपहरण करके फावड़े से हत्या कर कटे हुए सिर व हाथ को नहर में बहा दिया। द्वितीय केस में जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 23.03.1998 को बंदी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे और बल्लम से वादी के पिता की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अज्जू उर्फ अजुआ पुत्र श्री श्यौदान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in